क्र ।।२।।७ शमशेरखां वगैरा लैण्ड होल्डर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म व में ज
10-11-2020	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 18-11-2020 को पेश हो।	
18-11-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-11-2020 को पेश हो। रीडर	
25-11-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-12-2020 को पेश हो। रीडर	
4-12-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-2021 को पेश हो। रीडर	
8-1-2021	वकील प्रार्थी उप०। पुनः बहस सुनी गई। प्रा०पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 112/2018 | तारीख रजू 13.8.2019 | तारीख निर्णय 8.1.2021

रामखिलाडी पुत्र मथुरिया जाति गुर्जर निवासी नारायणपुर टटवाडा (ढाणी मूडान) तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री रामस्वरूप टटवाल, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी रामखिलाडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खोलाई में भूमि ख0नं0 234 रकबा 0.44 है0 स्थित है। इस भूमि में मथुरिया पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर का 1/4 हिस्सा साबिक ग्राम टटवाडा का नाम अंकित है। इस अंकन में सुखदेव का नाम गलत है। इस गलत नाम का अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा हो गया था। सुखदेव की जगह सही नाम रामदेव है। पूर्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2039—58 में प्रार्थी के पिता मथुरिया के पिता का नाम रामदेव दर्ज है। खतौनी सं0 2039 में मथुरिया के पिता का नाम रामदेव दर्ज है तथा हाल जमाबंदी सं0 2072—2075 में मथुरिया पुत्र सुखदेव गलत दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त होने योग्य है। इसी प्रकार लड्डू पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर साबिक ग्राम टटवाडा खातेदार के नाम जमाबन्दी सं0 2072—75 में इन्द्राज है। इस खाते में कथित नाम पूर्व से गलत है। सही नाम मड्डू पुत्र रामदेव गुर्जर है। इसलिए लड्डू की जगह मड्डू पुत्र रामदेव दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने दिनांक 23.10.2018 को भी एक प्रार्थना पत्र ।नायब तहसीलदार तलावडा के नाम नाम दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर हलका पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.11.2018 को अंकित की थी। यह रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र मूल ही प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खौलाई की भूमि ख0नं0 234 रकबा 0.44 है0 पर खाता संख्या 31 में काश्तकार के नाम के कालम नम्बर 3 में अंकित नाम मथुरिया पुत्र सुखदेव की जगह मथुरिया पुत्र रामदेव अंकित किया जावे। इसी प्रकार इसी जमाबंदी में क्रम संख्या 6 के कालम में अंकित नाम लड्डू पुत्र सुखदेव के स्थान पर सही नाम मड्डू पुत्र रामदेव का नाम दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नायब तहसीलदार तलावडा के समक्ष दिनांक 23.10.2018 को प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट पटवारी व नायब तहसीलदार तलावडा, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, नकल जमाबंदी सं0 2052 से 2055, नकल जमाबंदी सं0 2048 से 2051, फोटोकोपी पहचान पत्र मड्डू पुत्र रामदेव, नकल जमाबंदी खतौनी सं0 2039 से 2058, नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2039 प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (...) उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने ज़बाब में अंकित किया है कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने पिता का नाम मथुरिया पुत्र सुखदेव की बजाय मथुरिया पुत्र रामदेव करवाना चाहता है जो खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी खाता संख्या 50 एवं आधार वर्ष जमाबंदी सं0 2039–2058 के खाता नम्बर 51 अनुसार है तथा लड्डू पुत्र सुखदेव की बजाय मड्डू पुत्र रामदेव करवाना चाहता है जो खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी खाता संख्या 50 एवं आधार वर्ष जमाबंदी सं0 2039–58 के खाता नम्बर 51 अनुसार है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार सही नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। भूमि ख0नं0 234, रकबा 0.44 है0 ग्राम खौलाई की नकल खतौनी भू–प्रबन्ध सं0 2039 के खाता संख्या 48 में खातेदार का नाम मदन मड्डू मथुरया श्रीनारायण पि0 रामदेव गूजर नि0 टटवाडा दर्ज है। इसी अनुसार जमाबंदी खतौनी सं0 2039–58 में भी इन्द्राज हो रहे हैं परन्तु जमाबंदी खतौनी सं0 2048–51 के खाता संख्या 65 में खातेदारों का नाम मदन लड्डू मथुरया श्रीनारायण पि0 सुखदेव गूजर नि0 टटवाडा, नकल जमाबंदी सं0 2052–55 के खाता संख्या 68 में खातेदारों का नाम इसी अनुसार दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2072–75 के खाता संख्या 31 में खातेदारों के नाम जो दर्ज है उनमें मथुरया पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, लड्डू पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, श्रीनारायण पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ख0नं0 234 में खातेदार मथुरया, , मड्डू, श्रीनारायण के पिता का नाम रामदेव के स्थान पर सुखदेव दर्ज कर दिया गया है एवं खातेदार मड्डू के स्थान पर लड्डू दर्ज कर दिया गया है। खतौनी भू–प्रबन्ध जमाबंदी सं0 2039 के अनुसार खातेदार मथुरया, मड्डू, श्रीनारायण अपने पिता का नाम सुखदेव के स्थान पर रामदेव एवं खातेदार मड़्डू स्वयं का नाम लड्डू के स्थान पर मड्डू दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम खौलाई में दर्ज भूमि ख0नं0 234 रकबा 0.44 है0 में दर्ज प्रविष्टि मथुरया पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, लड्डू पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, श्रीनारायण पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार के स्थान पर प्रविष्टि

रामखिलाडी बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट

(3)

नथुरया पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, मड्डू पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार, श्रीनारायण पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा0 टटवाडा खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested